तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
07/03/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकेन उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता गण को तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया।	

अभिभाषक वादी द्वारा कथन किया गया कि वादगत भूमि बाबत खाता विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जो प्राथमिक डिक्री के अनुरूप है अतः खाता विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावे तथा वादगत भूमि बाबत प्रतिवादीगण द्वारा वाद के लंबित रहते भूमि का बेचान किया गया है जिससे वादगत भूमि पर संयोजित नवीन खातेदारान/पक्षकारान को सुना जाना न्यायोचित्त नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत RLW 2008 (2) R पेज 1128 पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक व हिस्से अनुसार खाता विभाजन चाहता है। उसी अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त है। अतः श्रीमान अंतिम डिक्री जारी की जावे।

अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा भी यही कथन किया गया कि तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप है अतः ऐसे में अंतिम डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली व प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2026 को वादगत भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी। वादगत भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा वाद के लंबित रहते अपने हिस्से अनुसार भूमि का व्ययन किया गया है जिस पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **RLW 2008 (2) R** पेज 1128 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वाद लंबित रहने के दौरान न्यायालय की अनुमति के बिना सम्पति का हस्तांतरण या अन्य संक्रामक करना सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत लंबित वाद के सिद्धांत से टकराता है और वाद के लंबित रहने के दौरान सम्पति के मूल मुकदमेबाज पक्षकार और पश्चातवर्ती केता के मध्य डिक्री से केता बाध्य होता है, वह न तो आवश्यक और न ही समुचित पक्षकार होता है।

अतः हमारे मत में वादी वादगत भूमि पर अपने हिस्से अनुसार रिकॉर्डेड सह-खातेदार है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वाद के लंबित रहते वादगत

आराजी का अंतरण किया गया जिस पर अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तु
न्यायिक दृष्टांत **RLW 2008 (2) R पेज 1128** अक्षरश चस्पा होता है
नवीन संयोजित खातेदारान को इस स्तर पर सुना जाना आवश्यक प्रती
नही होता है। खाता विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जानी न्यायोचि
है। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को
आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार पक्षकारान के मध्य खात
विभाजन किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल–दरामद किया जावे। संलग्न
नक्शा, निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय व डिक्री की
प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner